ायलान ने पुलिस थाना, जैतारण में दिनांक 24.02.2022 को लिखित रिपोर्ट भी श की थी। वादग्रस्त आराजी को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण न तो खातेदार है, न ही सहखातेदार है। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर प्रार्थीगण को जमीन खाली करने हेतु धमकाया जा रहा है तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी किया जा सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी के प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण खसरा नम्बर 329/202 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.2994 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 202/4 रकबा 0.8094 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल में अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर हाली एजेण्ट आदि, प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी, अड़चन नहीं करें, व वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्र्कषतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- लितरिया, पटवार हल्का- काणेचा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 329/202 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.2994 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 202/4 रकबा 0.8094 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल में अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर हाली एजेण्ट आदि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी, अड़चन

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)